



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

राजस्थान जयते

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6484/2026

CNR: RJHC010476382026

URN: CRLMB / 14333U / 2026

B S/o Harmesh Singh, Aged About 16 Years, Through Father Harmesh Singh S/o Pritam Singh Resident Of Nawahasta, Police Station Sadar Fazilka, District Fazilka, Punjab. (Detained In Juvenile Justice Care Home, Sriganganagar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. DS Thind

For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **206/2024**, अपराध अन्तर्गत धारा **8/21, 8/28, 8/29, 8/27ए, 8/30** स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा **411, 465, 468, 471** भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अन्य मुलजिमान जिनसे कि पंजाब में बरामदगी हुई है उन तीनों से कोई कॉल डिटेल् प्रार्थी/अभियुक्त की नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। इस मामले में इस स्टेज पर धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान होने से प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया। परन्तु यह स्वीकार किया कि अन्य मुलजिमान जिनसे कि पंजाब में बरामदगी हुई है उन तीनों से कोई कॉल डिटेल् प्रार्थी/अभियुक्त की नहीं है।



5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में कोई कॉल डिटेल् अन्य मुलजिमान के साथ की होना नहीं पाई गई है जिनसे कि पंजाब में बरामदगी हुई है, जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त का इस तरह के अपराध में संलिप्त होना माना जा सके। प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय नाबालिग था। ऐसी अवस्था में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का उचित आधार है कि प्रार्थी-अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और न ही जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान होने से तथा बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **बी पुत्र हरमेश सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J